

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश /  
 डी.जी. गैरवारं 50/2014


दिनांक: लखनऊ, आर.स. 02, 2014

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / प्रभारी जनपद, उ०प्र०  
 समस्त पुलिस अधीक्षक, रेलवेज, उत्तर प्रदेश ।

शासन एवं इस मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि स्थानीय क्षेत्राधिकारी, जो जनता से सीधे सम्पर्क में होते हैं, उनकी जिला मुख्यालय से अलग नियुक्ति होने पर प्रायः वे अपने तहसील मुख्यालय पर प्रवास करने के बजाय अपनी सुविधानुसार अन्यत्र निवास करते हैं। ऐसी परिस्थिति में अचानक उत्पन्न जनसमस्याओं / शान्ति व्यवस्था का तत्काल संज्ञान लेने तथा उनके त्वरित निराकरण करने में कठिनाई होती है एवं जनसमस्याओं के ससमय निराकरण न होने पर अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है। इस सम्बन्ध में पूर्व भी निर्देश निर्गत किये गये हैं, किन्तु उनके सम्यक अनुपालन न होने से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है।

2- उक्त सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जनपद / अनुभाग के सभी क्षेत्राधिकारीगणों को उनके मुख्यालय पर प्रवास करने हेतु अपने स्तर से कड़े निर्देश जारी करें एवं उनका अनुपालन सुनिश्चित करायें। जनपदीय पुलिस अधीक्षक, परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक एवं जोनल पुलिस महानिरीक्षकों द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों से लैण्ड लाइन दूरभाष से सम्पर्क कर, यह चेक किया जाय कि वास्तव में वह अपनी नियुक्ति स्थल पर मौजूद हैं अथवा नहीं ? पुलिस महानिरीक्षक, जोन्स अपने जोन के जनपदों में तैनात क्षेत्राधिकारियों को अपने स्तर से भी कड़े निर्देश निर्गत करें।

  
 (आनन्द लाल बनर्जी)  
 पुलिस महानिदेशक,  
 उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने

हेतु :-

1. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक, रेलवेज, उ०प्र०